


1.2.24 वकील उभयपक्ष उपस्थित । गत
पिछा दिनांक 12.1.24 को चुनी
गई बहस पर मनन किया
आकर पत्रावली का अवलोकन
किया गया । बाद अवलोकन
पाया कि जारी जारीता पर
स्वीकार किया जाना न्यायोचित
नहीं है ।

विस्तृत निष्पत्ति प्रथम से
लिखवाया आकर मुले न्यायालय
में सुनाया गया । शा. प किया
गया ।

पत्रावली नम्बर से काम की
आकर बाद नकली कारिफ्त
दफ्त है ।


(हवाल गुला)

अखण्ड अधिकारी एवं
पदेन महायक कलेक्टर
दिल्ली

